

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाइट : www.rmhc.health.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : edprocurement@gmail.com एवं rmhc@nic.in

क्रमांक : F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/186

Dated: 7.2.2018

कार्यालय आदेश

भेषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर सविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/898 Dated: 31.07.2017 के अन्तर्गत M/s Samarth Life Sciences Private Limited, Samartha House Ram Bangur Nagar, Off Link rd, Near Ayappa Temple & Kallol Kali Temple, Goregaon (W), Mumbai, Pin-400090 द्वारा आईटम कोड 644 - (Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection 1 mg/0.5 ml Ampoule (aqueous Preparation) Each Pack contains:(i)One 0.5 ml Ampoule of Vitamin K 1 (ii) One 1 ml disposable syringe with one 26 gaze needle) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 20.09.2017 को खोली गयी। फर्म के कोटेड आईटम कोड 644 (Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection 1 mg/0.5 ml Ampoule (aqueous Preparation) Each Pack contains:(i) One 0.5 ml Ampoule of Vitamin K 1 (ii) One 1 ml disposable syringe with one 26 gaze needle) को Central Drug Laboratory (CDL) द्वारा Not of Standard Quality (NOSQ) घोषित किया गया एवं Central Drug Laboratory द्वारा यह रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 को जारी की गयी। फर्म को बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.09.2017 तक आइटम को NOSQ घोषित करने के निर्णय के विरुद्ध कोर्ट से किसी प्रकार का स्टे प्राप्त नहीं था।

फर्म ने इस आइटम के लिये बिड में भाग लिया तथा उक्त तथ्यों को Declaration & Undertaking (Annexure-VII) में भी छिपाया जिस कारण दिनांक 21.12.2017 को हुयी क्रय समिति की बैठक में बिड प्रपत्र की शर्त संख्या 2(g) "If any product/products of a company/firm have been declared as not of standard quality, as per Drugs & Cosmetics Act during last 2 years anywhere, such concern/company/firm shall not be eligible to participate in Bid for such product/products. If any company/firm is found to have any such product quoted in the Bid, the product shall be blacklisted for 2 years and a penalty equivalent to Bid Security Deposit shall also be levied. [Penalty should be minimum and maximum as per bid security given in clause 8] In such situation, the bid will be considered further only if the amount of penalty is deposited before the completion of technical evaluation." व शर्त संख्या 5(r) Undertaking that the manufacturer has not been blacklisted, the product has not been declared as not of standard quality during last two years, it's manufacturing capacity and other details required on a format mentioned at Annexure-VII. का उल्लंघन मानते हुये कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। फर्म को पुनः ब्लैक लिस्टिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु दिनांक 12.01.2018 को पत्र लिखा गया फर्म द्वारा इस क्रम में दिनांक 17.01.2018 को जवाब प्रस्तुत किया परन्तु जवाब में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः क्रय समिति की बैठक दिनांक 21.12.2017 में लिये गये निर्णयानुसार M/s Samarth Life Sciences Private Limited, Samartha House Ram Bangur Nagar, Off Link rd, Near Ayappa Temple & Kallol Kali Temple, Goregaon (W), Mumbai, Pin-400090 को आईटम कोड 644(Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection 1 mg/0.5 ml Ampoule (aqueous Preparation) Each Pack contains:(i) One 0.5 ml Ampoule of Vitamin K 1 (ii) One 1 ml disposable syringe with one 26 gaze needle) के लिये आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबांड कराने तथा राशि रु 2 लाख (अक्षर राशि रु दो लाख



मात्र) की पैनल्टी निर्धारित कर फर्म द्वारा इस हेतु उपरोक्तानुसार जमा कराई हुई बिड सिक्योरिटी राशि में से जब्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक 71418
आरएमएससीएल

Dated: 7.2.2018

क्रमांक : F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/186

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल ।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर, राजस्थान ।
6. औषधि नियंत्रक, प्रथम एवं द्वितीय, जयपुर, राजस्थान ।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को दी जाकर लेख है कि मैसर्स Samarth Life Sciences Private Limited, Samartha House Ram Bangur Nagar, Off Link rd, Near Ayappa Temple & Kallol Kali Temple, Goregaon (W), Mumbai, Pin-400090 द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि रु. 2.40 लाख (D.D. no. 143501 dated 13.09.2017) का डी. डी अनौ. टीप. क्रमांक 1176 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया था, जिसमें से राशि रु 2 लाख की पैनल्टी की वसूली करावें।
8. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल, जयपुर, राजस्थान ।
9. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल, जयपुर, राजस्थान ।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Samarth Life Sciences Private Limited, Samartha House Ram Bangur Nagar, Off Link rd, Near Ayappa Temple & Kallol Kali Temple, Goregaon (W), Mumbai, Pin-400090
11. ए.जी.एम. (आई.टी.), को भेजकर लेख है कि यह आदेश आरएमएससीएल की वेब साइट पर अपलोड करावें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल